

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 012407

Identified by
(शिमला क्रिया)
संजय कुमार कश्यप
पुसाकर

प्रारूप 26
(नियम 4 क देखिए)

52, अल्मोड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

52, अल्मोड़ा विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं, श्रीमती शोभा जोशी
पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. विजय जोशी आयु 35 वर्ष जो शंकर भवन,
पूर्व पोखर खाली, अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त
उत्तराखण्ड
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता
करती हूँ :-

- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं ।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) : लागू नहीं
- ★मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं
राज्य लागू नहीं
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं



Signature

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए करावास से दंडादिष्ट किया गया है/दंडादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडानिष्ठ किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)
- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं लागू नहीं

स्थान : अल्मोड़ा
तारीख : 10- जनवरी 2012

Joshi
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

अल्मोड़ा स्थान पर आज तारीख 10- जनवरी 2012 को सत्यापित किया।

Joshi
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।



Signed, Sworn & verified before me
by Smt. Smt. Sobha Joshi w/o Late Vijay Joshi
who is identified by S. K. Agarwal (Adv) Almora

K. N. SATI
10-1-2012
K. N. SATI (Advocate)
NOTARY
U.O.-Almora (U.K.) India.